

प्ररूप 13-ख
[नियम 23 (1) (ख) देखिये]

लिफाफा क

लिफाफा 'क'

गणना से पूर्व न खोला जाए

..... *के लिए

निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक

*निर्वाचन की समुचित विशिष्टयाँ यहाँ लिखिए।

प्ररूप 13 ग
[नियम 23 (1) (ग) देखिये]

लिफाफा ख

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

लिफाफा 'ख'	[“हर ऑफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र संबोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए-निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 23 (4)”] निर्वाचन-अविलम्ब डाक मतपत्र	2[*** सरकारी बिना टिकट]
<p>..... *निर्वाचन क्षेत्र के लिए गणना से पूर्व न खोला जाए</p> <p>प्रेषित- ** रिटर्निंग ऑफिसर</p> <p>.....</p> <p>भेजने वाले के हस्ताक्षर</p>		

*रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ पर संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।

**रिटर्निंग ऑफिसर यहां पर अपना पूरा डाक पता लिखें।

²[***ऐसे निर्वाचक की दशा में, जो भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिये।